उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 2000

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 31, 2000)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक श्रमिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, सन् 2000]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2000 के रूप में दिनांक 1 नवम्बर, 2000 को उ0 प्र0 गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1962 का निरसन करने के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

(2) यह 26 अगस्त, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55 सन् 1976 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और उपान्तरित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1962 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1962 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

अध्यादेश का निरसन

3–उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

———